न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, फागी जयपुर

(न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट गोहन्दी)

(बइजलास सावन कुमार चायल आर,ए ,एस)

प्रार्थना पत्र सं0:– 04 /2017 (विविध)

तारीख रज्जू :– 21.02.2017

निर्णय दिनांक :– 07.06.2017

1. गोपाल लाल
2. बाबूलाल
3. तुलसीराम पुत्रान भंवरलाल
4. मोहनी पत्नी भंवरलाल जाति ब्रहमण समस्त निवासीयान ग्राम रायथल तह0 फागी जिला जयपुर राज0

(प्रार्थीगण)

बनाम

5. तहसीलदार तह0 फागी

(अप्रार्थी)

अधिवक्ता प्रार्थीगण :– श्री रवि कुमार जैन एडवोकेट

अप्रार्थी :– पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 07.06.2017

निर्णय

प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र बाबत पत्थरगढी हेतु प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी भुमि खसरा नं0 288 रकवा 2 बीघा 13 बिस्वा, 306 रकवा 11 बीघा 8 बिस्वा वाकै ग्राम रायथल तह0 फागी जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसका लगान सरकारी प्रार्थीगण के द्वारा अदा किया जा रहा है। विवादित आराजी पर प्रार्थीगण निरन्तर व निर्विवाद रुप से कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही चला आ रहा है, किसी अन्य का विवादीत आराजी से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। प्रार्थीगण ने विवादीत आराजीयात का सीमाज्ञान भी अप्रार्थी तहसीलदार साहब फागी के आदेश से उनके अधिनस्थ कर्मचारी द्वारा दिनांक 29.06.2016 को आराजी का सीमाज्ञान भी करवा लिया है। प्रार्थीगण की आराजी का सीमाज्ञान होने के उपरान्त भी पडोसी काश्तकार आपस में सीमाओ को लेकर विवाद करता है, इसलिए प्रार्थीगण अपनी सीमाओ पर पत्थरगठी करवाना चाहता है, जिससे की सीमाओ पर अपनी डोल कायम कर सके, दिनांक 31.12.2014 को प्रार्थीगण अपने आराजी पर मोके पर खडे थे तो पडोसी काश्तकार सीमाओ को लेकर वाद–विवाद करने लगे, तो प्रार्थीगण को अपने हित्तो की रक्षार्थ मान्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र पत्थरगठी करवाने का अन्तर्गत धारा 128 भू0 राजस्व

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

अधिनियम का प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है आदि पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जारी की गई, अप्रार्थी उपस्थित हो जबाब प्रस्तुत किया।

प्रार्थीगण व परोकार सरकार की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई, दोराने बहस वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को वर्णित करते हुए निवेदन किया की प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण ने अपनी भुमि का सीमाज्ञान भी दिनांक 29.06.2016 को करवा लिया है उसके पश्चात भी पडोसी काश्तकार सीमा डोल को लेकर वाद–विवाद करने लग गये है, इस कारण से प्रार्थीगण अपनी सीमा कायम कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पुख्ता डोल कायम हो सके, पेरोकार सरकार ने अपनी बहस के दोरान बताया कि प्रार्थीगण की सीमाज्ञान हो चुका है, मोके पर किसी प्रकार का वाद–विवाद नही है सीमाज्ञान के द्वारा सीमा स्पष्ट बता दी गई है, तथा प्रार्थीगण ने पडोंसी खातेदारान को पक्षकार कायम नही किया है इस प्रकार सीमा विवाद नही होने से पत्थरगढी करवाने का कोई ओचित्य ही नही है।

हमने बहस सुनी तथा पत्रावली का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादीत भुमि के खातेदार काश्तकार है, प्रार्थीगण अपनी भुमि पर सीमा डोल कायम करना चाहता है, इस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित प्रतित होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार फरमाया जाकर तहसीलदार फागी को आदेश दिये जाते है कि वह सीमान्त खातेदारान की उपस्थिति में आपसी सहमति से पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फेसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 07.06.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)